**संख्या-10/2015/क0नि0-4- 1483/11-2014-2(13)/2003**

**प्रेषक,**

**गीता मिश्रा,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन ।**

**सेवा में,**

**कमिश्नर,**
**वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।**

**कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 2 मार्च, 2015**

**विषय:-** वाणिज्य कर कार्यालय कन्नौज के भवन स्वामी श्री प्रवीण कुमार टण्डन द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2012 को श्री पीयूष कुमार पुत्र श्री जगदीश स्वरूप को बेचे जाने के परिणामस्वरूप श्री पीयूष कुमार को किराये का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति-किराया/भ0प0-इटावा-390/14-15/315/ वाणिज्य कर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- क0नि0-4-1295/11-2010-2(13)/2003 दिनांक 24 सितम्बर, 2010 द्वारा स्वीकृत दर से ही दिनांक 13 अगस्त, 2012 से दिनांक 03 अगस्त, 2013 तक की अवधि के लिए, श्री प्रवीण कुमार टण्डन द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2012 को श्री पीयूष कुमार पुत्र श्री जगदीश स्वरूप को बेचे जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान भवन स्वामी श्री पीयूष कुमार को किराया भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व' के नामें डाला जायेगा।

**भवदीया,**
**गीता मिश्रा,**
**विशेष सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-10/2015/क0नि0-4-1462(1)11-2014 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

**1-** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमद्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

**2-** महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथमद्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

**3-** जिलाधिकारी, कन्नौज /वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।

**4-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।

**5-** भवन स्वामी श्री पीयूष कुमार, मोहल्ला आनन्दीदास, कन्नौज।

**6-** गार्ड बुक।

**आज्ञा से**
**धीरेन्द्र कुमार वर्मा,**
**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।